

पत्रसं०-चे०पो०-25क-परिपत्र वर्ड फ्लू / ०९१००१६

/ वाणिज्य कर

कार्यालय, कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(चेक पोस्ट अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: ०३ मार्च, 2009

समस्त

एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2(वि०अनु०शा०) / ज्वाइन्ट कमिशनर(वि०अनु०शा०)

असिस्टेन्ट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी, सचल दल

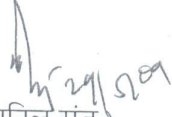
वाणिज्य कर उ०प्र० ।

विषय:- मौन पालकों / कृषकों द्वारा मौनवंशों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेशन में होने वाली कठिनाइयों से संबंधित

सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उ०प्र० शासन को यह अवगत कराया गया है कि मौन पालकों / कृषकों द्वारा मौन वंशों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेशन मधु उत्पादन हेतु एक तकनीकी आवश्यक प्रक्रिया के अन्तर्गत मौन पालकों / कृषकों द्वारा मौन वंशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इस प्रकार की कई शिकायतें प्राप्त हुयी हैं कि इनके परिवहन के दौरान मौन पालकों / कृषकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनका उत्पीड़न किया जाता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि यह सुनिश्चित करें कि मौन पालकों / कृषकों द्वारा मौन वंशों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेशन किये जाने पर उनका परिवहन करने वाले वाहनों को अनावश्यक रूप से न रोका जाये।

निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।


(अनिल संत)

कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

पृ०प०सं० एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त एवं कर एवं निबन्धन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या 1169 /11-3-2009-288/2007 दिनांक 15-4-2009 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्यकर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. चेकपोस्ट अनुभाग मुख्यालय को 05 प्रतियां अतिरिक्त।


(वी०पी०श्रीवास्तव)

ज्वाइंट कमिशनर (चेकपोस्ट) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।